निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 230 /2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दाताराम पुत्र प्रभात गुर्जर निवासी बाडा ढेहरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 सहायक कलक्टर (फारस्ट ट्रैक) जमवारामगढ ।

2 रूड सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र दान

3 गोपाल सिंह पुत्र रामचन्द्र दान

समस्त जातियान चारण, निवासी ग्राम भट्टावाला तन बिसोरी, तहसील जमवारामगढ ।

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जमवारामगढ ।

अप्रार्थीगण

5 शंकर पुत्र ठाकुरसी गुर्जर

6 रामकुमार पुत्र ठाकुरसी गुर्जर

7 भगवती प्रसाद पुत्र श्री रेवड गुर्जर

8 कल्याण सहाय पुत्र रेवड गुर्जर

9 रामजीलाल पुत्र रेवड गुर्जर

10 रामचन्द्र पुत्र भूरा गुर्जर

11 रामकरण पुत्र भूरा गुर्जर

12 बन्नालाल पुत्र प्रभात गुर्जर

13 सरदार पुत्र प्रभात गुर्जर

14 शिम्भू पुत्र भगवाना गुर्जर

15 बोदू पुत्र भगवाना गुर्जर

16 जगदीश पुत्र भगवाना गुर्जर

17 सूण्डाराम पुत्र भगवाना गुर्जर

18 मूली पत्नी भगवाना गुर्जर

निवासियान बाडा ढेहरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

तरतीबी अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 04/2015 ब उनवानी भैरू बनाम रूडसिंह व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नेमीचन्द जलवानियां अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 13.12.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 04/2015 ब उनवानी भैरू बनाम रूडसिंह व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी श्री मदन लाल यादव व श्री सरदारमल यादव की ओर से वकील श्री नेमीचन्द जलवानियां ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा यह एलानिया घोषणा की गई कि साहब से हमारी बात हो गई है साहब के व्यक्तिगत कार्य भी हम निपटाते है। इसलिए हमारे पक्ष में फैसला करवा कर रहेंगे। ऐसा हमें आश्वासन भी साहब द्वारा हो चुका है, तुम तो मुकदमों की औपचारिकता को फटाफट पूरी करवाओ फिर मै तुम्हारे पक्ष में फैसला कर दूंगा। वादी के वाद में न्यायालय द्वारा जल्दी जल्दी तारीखें दी जा रही है साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि मेरे ऊपर दबाव है और फटाफट इस केश की औपचारिकताओं को पूरा करें। अगर आप औपचारिकताओं पूरी नहीं करेंगे तो मैं कार्यवाही को बन्द कर मुकदमा बहस में लगा दूंगा और निर्णित कर दूंगा। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 के द्वारा गांव में ऐसी एलानियां घोषणा की गई कि साहब से इस बात बाबत रूपये पैसे देने की वार्ता हो गई हैं । साहब ने कहा कि जल्दी जल्दी मुकदमें की औपचारिकताए पूर्ण करें। अप्रार्थीगण एक भू माफिया से वास्ता रखते है व संख्या बल, बाहुबल एवं धनबल युक्त है और उनके द्वारा एलानियां घोषणा से प्रार्थी को यह आभास हो गया है कि मुझे न्याय प्राप्त नहीं होगा । न्याय होने के लिए न्याय की यह मंशा रहती है कि न्याय की प्राप्ति के साथ साथ सभी पक्षकारों को यह प्रदर्शित होना चाहिये कि उन्हें न्याय प्राप्त होगा। यदि पक्षकारों को न्याय नही प्राप्त होने का अदेशा हो तो प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना विधि अनुरूप व न्याय संगत है। अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लेने के कारण एवं उनकी एलानियां घोषणा होने के कारण एवं पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने के आभास हो जाने के कारण यदि दावे को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया तो प्रार्थी के खिलाफ वाद निस्तारण कर देंगे। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रकरण में मदन लाल यादव व सरदामल यादव की ओर से वकील ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय की नकल पेश की है, वह वर्ष 2004 की है वर्तमान की नहीं है। प्रकरण में 2004 के पश्चात कई पक्षकार नये बन गये है। मदन लाल व सरदारमल भी प्रकरण में पक्षकार है, जिनको जानबूझ कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है प्रार्थी जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है । इसी मन्शा से झूठे एवं मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

जिला कलक्टर
जयपुर

किया है। आरापों की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे उसके कथनों की पुष्टि हो सके। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी मे आरोपो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की वर्ष 2004 की फोटो प्रति पेश की है। चूंकि प्रकरण लगभग 18 वर्ष पुराना है। इसलिए छोटी–छोटी तारीख पेश दी जा रही है जो उचित है। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के सभी पक्षकारान को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण ने केवल मात्र कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18, एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति इस्ब कायदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर